


प्रतिलिपि के लिए  
आवेदक की तारीख

स्टाम्प और फोलियो  
की अपेक्षित संख्या सूचित  
करने की निश्चित तारीख



तारीख जबकी देने के लिए  
प्रतिलिपि तैयार थी

आवेदक को प्रतिलिपि  
द देने की तारीख

Date of Application  
for the copy

Date fixed for notify  
the requisite number of  
stamps and folios

Date or delivery of the  
requisite stamp & folios

Date on which the copy  
was ready for delivery

Date of mading  
over the copy to  
the applicant

22/6/17 22/6/17 22/6/17 22/6/17 22/6/17

FOLIO NOT AVAILABLE

रखी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या

3033

खाना नं० 908

वार्ड सं० 2

जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

| खतियान की<br>क्रम सं० | अभिधारी का नाम<br>पिता का नाम<br>जाति और निवास | खेत             |       | भूमी<br>का<br>स्वरूप | रकबा<br>हे० आर०<br>सं० | अभ्युक्ति | स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या                             |   | (1) अधियोगी रैयत कर हेसियत और कब्जे की अवधि।<br>(2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही<br>(प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियों)<br>(3) कोई विशेष शर्त और अनुपंगत बात यदि हो। |
|-----------------------|--|-----------------|-------|----------------------|------------------------|-----------|--|---|--|
|                       |  | खेसरा<br>संख्या | चौहदी |                      |                        |           | मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो              | विवरण   |  |
|                       |  |                 |       |                      |                        |           | व्यक्ति लगान वाले हरेक प्लॉट के<br>नाम बताए कि उस पर कब्जा कैसे है | बन्दोबस्त उचित लगान<br>यदि हो<br>1 लगान 2 सेस |  |
| 1                     | 2  | 3               | 4     | 5                    | 6                      | 7         | 8  | 9   | 10   |
| 2<br>908              | अनावाक विहार<br>साकार                          | 3033            |       | रास्ता-<br>कच्चा     | 00.03.00               |           |  |   |  |

प्रतिलिपिक  
23/6/17

तुलना किया  
23/6/17

Certified to be True  
Notary  
28/6/17  
Head Clerk to the Settlement Office  
is authorised U/s 76 of the  
Indian Evidence Act, 1872

का प्लॉट अतिरिक्त योगनागपुर काराकारी अधिनियम  
1920 की धारा 2(2) का विवरण एवं उद्देश्य  
महाराष्ट्र अधिनियम अधिनियम 1920 की धारा 10(1)  
के अन्तर्गत तैयार हुआ और इन्को जल्लम प्रमाणित  
दिनांक 10/04/1923... ..के बिना तथा  
अंतिम प्रकाशन प्रमाण एवं दिनांक 13/04/1923  
के इस्तासारेत हुआ  
मिर्भूम